(621)

RB/ Estt. No. 35/2006

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

....

No.E(NG)I-2006/PM1/4 **New Delhi, dated 22.03.2006**

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Procedure for holding selections to posts classified as 'Selection'- deletion of heading "Personality, Address, Leadership, and Academic/Technical Qualification" from the selection procedure.

As the Railways are aware for promotion of non-gazetted staff to posts classified as 'Selection' the heading "Personality, Address, Leadership, and Academic/Technical Qualification" carries a weightage of 20 marks in case of selections for promotion to posts in the normal hierarchy with the exception of the category of Motorman where the marks allotted to this factor have been earmarked for Aptitude Test. In case of General Posts the heading carries a weightage of 30 marks except in case of ASMs and Asstt. Loco Pilots(Dsl./Elect.) where the marks allotted to this heading have been distributed between Aptitude Test and Academic/Technical Qualifications as 20 marks and 10 marks respectively.

2. Even though the extant procedure provides that the assessment under the heading "Personality, Address, Leadership, and Academic/Technical Qualification" should be based on actual remarks against the relevant columns in the Annual Confidential Reports so as to ensure objectivity it appears that some confusion still exists on some of the Railways regarding its assessment and an impression has also been created that with the elimination of viva-voce in the departmental selections this heading gets merged with written test probably under the impression that assessment of these traits/qualities can be done in a personal interview which indeed was the case prior to issue of instructions contained in this Ministry's letter No.E(NG)I-97/PM1/27 dt.04.03.98 followed by ACS No.46 issued under this Ministry's letter of same number dt.17.06.98. The Staff Side have also taken up the issue in the forum of DC-JCM.

3. The matter has been carefully considered by the Ministry of Railways. It has been decided to altogether do away with the heading "Personality, Address, Leadership, and Academic/Technical Qualification" from the selection procedure and redistribute the marks allotted to this heading wherever and to the extent necessary to other factors in the following manner:

.....2/-

(i) The marks allotted to Professional ability viz. Written Test and/or viva-voce will remain unchanged. The marks allotted to the heading Aptitude test wherever applicable will also remain unchanged.

(ii) In the selection for promotion to posts in the normal hierarchy while no change in the allotment of marks is required in the case of selection for promotion to the post of Motormen in which the heading "Personality, Address, Leadership, and Academic/Technical Qualification" already stands replaced by heading "Aptitude Test" in respect of others out of the 20 marks allotted to this heading while 5 marks may be added to the heading "Seniority" the remaining 15 marks may be added to the heading "Record of Service" thereby making these two headings as carrying weightage of 20 marks and 30 marks respectively in place of 15 each hitherto.

(iii) In the Selection for General Posts while in case of selections for promotion to the posts of ASMs and Asstt. Loco Pilots(Dsl./Elec.) where Aptitude Test carrying 20 marks is applicable, 10 marks hitherto allotted to the heading "Academic/Technical Qualification" will be added to the heading "Record of Service" raising the marks under this heading from the existing 20 to 30, in respect of other posts like Personnel Inspectors, Law Assistants etc. the heading "Record of Service" will carry 30 marks instead of 20 marks. Accordingly the Maximum Marks for these latter type of posts will be 80 instead of the normal 100.

4. It has also been decided that the redistribution of marks as prescribed above will be applicable to the selections notified on or after the date of issue of this letter.

5. All the remaining procedure prescribed for holding selections including the procedure prescribed for assessment of the various factors and the eligibility conditions for being placed on the panel will remain unaltered.

6. Indian Railway Establishment Manual, Volume-I, 1989 Edition should also be amended as per ACS No.183 enclosed.

(This also disposes of CPO/Western Railway's D. O. letter No.EP1025/0 Vol.VII dt.24.10.2005).

Please acknowledge receipt.

(J. S. Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board.

DA: **ACS No.183.**

....3/—

No. E(NG)I-2006/PM1/4 **New Delhi. Dated 22-03-2006**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N) and MSR(V).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, DG/RHS, DG/RPF and Secretary.
PPSs to all Additional Members and Advisers.
PSs to EDE, EDE(N), EDE(Res.), EDE(RRB), EDE(GC), ED(T&MPP), EDPC, EDF(E), EDA, ED(Safety), EDV(A), JS(G), JS(E&P) and JS.

D(OL), DPC-I&II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N), D(Safety), JDE(N), DE(R), JDE(Rep), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(RRB), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DD(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDE(D&A), JDV(A&P), DDE(Rep) I & II, DD(OL)I&II, E(D&A), E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, ERB-II, E(RRB), PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III (with 5 spares) & Code Revision Cell(with 5 spares) .

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I (1989 EDITION)

ADVANCE CORRECTION SLIP No.183.

Chapter II, Section 'B' – Rules governing the promotion of Group 'C' staff.

In the existing para 219:

I. Substitute the following for the existing table below sub-para (g) :-

Factors/Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
(i) Professional ability	50	30
(ii) Record of Service	30	-
(iii) Seniority	20	-
Total	**100**	**60**

II. Delete the existing Note (i) below sub-para (g).

III. Renumber the existing Notes (ii), (iii), (iv) & (v) below sub-para (g) as Notes(i), (ii), (iii) & (iv) respectively.

IV. The words and figures '*Note (iii)*' appearing in the existing Note (iv) {renumbered as Note (iii)} below sub-para (g) should be read as '*Note (ii)*'.

V. Substitute the following for the existing table below clause(i) of sub-para (j):-

Factors/ Headings	Maximum Marks	Qualifying Marks
(1) Professional ability	50	30
(2) Record of Service	30	-
Total	**80**	**48**

VI. Substitute the following for the existing Note (i) below clause (i) of sub-para (j):-

" Note (i): The assessment under heading (2) above will be governed by the provisions contained in Note (i) below sub-para (g) above."

.....2/-

VII. Substitute the following for the existing Note (ii) below clause (i) of sub-para (j):-

"Note(ii): In the case of selection for promotion to the posts of Asstt. Loco Pilots (Diesel/Electric) and ASMs the distribution of marks amongst various headings in lieu of headings in the table below clause(i) of sub-para (j) shall be as follows:

	Factors/Headings	**Maximum Marks**	**Qualifying Marks**
1	Professional ability	50	30
2	Record of Service	30	-
3	Aptitude Test	20	Minimum cut off as may be decided by RDSO
		100	**60**

(Authority: Ministry of Railway's letter No.E(NG)I-2006/PM1/4 dt.22.03.2006)

****

रे.बो. स्थापना सं. 35/2006

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी) I-2006/पी एम 1/4 नई दिल्ली, दिनांक **22.03.06**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय : 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पदों पर चयन आयोजित करने की कार्यविधि- चयन प्रक्रिया से "व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक हटाना.

जैसाकि रेलों को जानकारी है 'चयन' के रूप में वर्गीकृत पदों पर अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए "व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक के अंतर्गत मोटरमैन की कोटि को छोड़कर जिसमें इस कारक के लिए निर्धारित अंकों की अभिक्षमता परीक्षा हेतु आबंटित कर दिया गया है, सामान्य उत्क्रम के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन के मामले में 20 अंकों की अधिमानता दी जाती है. सामान्य पदों के मामले में, सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट (डीज़ल/बिजली) की कोटियां जिनमें इस शीर्षक के लिए आबंटित अंकों को अभिक्षमता परीक्षा तथा शैक्षिक/तकनीकी अर्हता के बीच क्रमश: 20 और 10 अंक दिए गए हैं, को छोड़कर इस शीर्षक के अंतर्गत 30 अंकों की अधिमानता दी जाती है.

2. यद्यपि प्रचलित कार्यविधि में यह प्रावधान है कि "व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संबद्ध कॉलम में दी गई वास्तविक टिप्पणी पर आधारित होना चाहिए ताकि वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित किया जा सके, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मूल्यांकन के संबंध में अभी भी कुछ रेलों पर भ्रांति है तथा ऐसा प्रभाव बनाया गया है कि विभागीय चयन में मौखिक परीक्षा हटा देने से इस शीर्षक का विलय लिखित परीक्षा में हो जाता है, संभवत: इस प्रभाव के अंतर्गत कि इन लक्षणों/गुणों

....2/-

का मूल्यांकन साक्षात्कार के दौरान किया जा सकता है जो वास्तव में इस मंत्रालय के दि. 04.3.98 के पत्र सं. ई (एन जी) I-97/पी एम-1/27 तथा इसके पश्चात् दिनांक 17.6.98 के समसंख्यक पत्र के अंतर्गत इस मंत्रालय की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 46 में निहित अनुदेशों के जारी होने से पूर्व किया जाता था. कर्मचारी पक्ष ने भी इस मामले को डी सी-जे सी एम के फोरम में उठाया है.

3. इस मामले पर रेल मंत्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है. यह विनिश्चय किया गया है कि चयन कार्यविधि से "व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हता" के शीर्षक को पूरी तरह से हटा दिया जाए तथा जहां कहीं भी हो, इस शीर्षक के लिए आबंटित अंकों को तथा अन्य कारकों के लिए आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप में पुन: विभाजित किया जाए :-

i) व्यावसायिक योग्यता अर्थात् लिखित परीक्षा और/या मौखिक परीक्षा के कारकों के लिए आबंटित अंक अपरिवर्तनीय रहेंगे. शीर्षक अभिक्षमता परीक्षा, जहां कहीं लागू हो, के आबंटित अंक भी अपरिवर्तनीय रहेंगे.

ii) सामान्य उत्क्रम के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन में मोटरमैन के पद पर पदोन्नति हेतु चयन जिसमें "व्यक्तित्व, शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक को "अभिक्षमता परीक्षा" शीर्षक से पहले ही बदल दिया गया है, के लिए हालांकि, अंकों के आबंटन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यों के संबंध में इस शीर्षक के लिए आबंटित 20 अंकों में से 5 अंक "वरिष्ठता" शीर्षक में जोड़ दिए जाएं तथा शेष 15 अंक "सेवा का रिकार्ड" शीर्षक में जोड़ दिए जाएं जिससे इन दो शीर्षकों की अधिमानता अब तक प्रत्येक शीर्षक के लिए 15 के स्थान पर क्रमश: 20 अंकों और 30 अंकों की हो जाएगी.

iii) सामान्य पदों पर चयन में जबकि सहायक स्टेशन मास्टर तथा सहायक लोको पायलट (डीज़ल/बिजली) के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन के मामले में, जिसमें 20 अंकों की अभिक्षमता परीक्षा लागू है, के लिए 'शैक्षिक/तकनीकी अर्हता' शीर्षक के लिए अब तक आबंटित 10 अंकों को "सेवा का रिकार्ड" शीर्षक में जोड़ दिया जाएगा जिससे इस शीर्षक के मौजूदा 20 अंकों को बढ़ाकर 30 कर दिया जाएगा, कार्मिक

....3/—

निरीक्षकों, विधि सहायकों आदि जैसे अन्य पदों के संबंध में "सेवा का रिकार्ड" शीर्षक में 20 के स्थान पर 30 अंक होंगे. तद्नुसार, इन बाद के पदों के लिए सामान्य 100 की अपेक्षा अधिकतम 80 अंक होंगे.

4. यह भी विनिश्चय किया गया है कि ऊपर निर्धारित अंकों का पुनर्विभाजन इस पत्र के जारी होने की तारीख को या उसके पश्चात् अधिसूचित चयनों पर लागू होगा.

5 विभिन्न कारकों के मूल्यांकन तथा पैनल में रखने के लिए पात्रता शर्तों सहित चयन आयोजित करने के लिए निर्धारित सभी शेष कार्यविधियां अपरिवर्तनीय रहेंगी.

6. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द - I, 1989 संस्करण में भी संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 183 के अनुसार संशोधन किया जाए.

(इससे मुख्य कार्मिक अधिकारी/पश्चिम रेलवे के अ.शा.पत्र सं. ई पी 1025/0/जिल्द-II दि. 24.10.05 का भी निपटान हो जाता है)

कृपया पावती दें.

(हस्ताक्षर)

(जे. एस. गुसाईं)
निदेशक, स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : अ.शु.प.सं. 183

....4/-

सं. ई (एन जी) **I-2006/पी एम 1/4** नई दिल्ली, दि. **22.03.2006**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां) .
4. प्रधान सचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां).
5. प्रधान सचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियां).
6. महासचिव, आल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :-

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (एन) तथा रेल राज्य मंत्री (वी) के निजी सचिव, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजी., सचिव के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द- **I (1989** संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 183.

अध्याय-II, खंड-'ख'- समूह 'ग' कर्मचारियों की पदोन्नति को शासित करने वाले नियम.

मौजूदा पैरा 219 में :-

I. उपपैरा (द) के नीचे मौजूदा तालिका के लिए निम्नलिखित को रखें :-

	कारक/शीर्षक	अधिकतम	अर्हक अंक
(i)	व्यावसायिक योग्यता	50	30
(ii)	सेवा का रिकार्ड	30	-
(iii)	वरिष्ठता	20	-
	कुल	100	60

II. उप-पैरा (छ) के नीचे मौजूदा नोट (i) को हटा दें.

III. उप-पैरा (छ) के नीचे मौजूदा नोट (ii), (iii), (iv) और (v) को पुनरांकित कर क्रमश: (i), (ii), (iii) और (iv) के रूप में लिखें.

IV. उप-पैरा (द) के नीचे मौजूदा नोट (iv) {पुनरांकित नोट (iii)} में दर्शाए गए शब्द एवं अंक 'नोट (iii)' को 'नोट (ii)' के रूप में पढ़ा जाए.

V. उप-पैरा (ञ) के खंड (i) के नीचे की तालिका के स्थान पर निम्नलिखित को रखें:-

	कारक/शीर्षक	अधिकतम	अर्हक अंक
(i)	व्यावसायिक योग्यता	50	30
(ii)	सेवा का रिकार्ड	30	-
	जोड़	80	48

....2/-

VI. उप-पैरा (ञ) के खंड (i) के नीचे मौजूदा नोट (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखें :-

"नोट (i): उपर्युक्त शीर्षक (2) के अंतर्गत मूल्यांकन उपर्युक्त उप-पैरा (छ) के नीचे नोट (i) में निहित परंतुकों द्वारा शासित होगा"

VII. उप-पैरा (ञ) के खंड (i) के नीचे नोट (ii)के स्थान पर निम्नलिखित को रखें :-

नोट (ii): सहायक लोको पायलट (डीजल/बिजली) और सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए चयन के मामले में उप पैरा (ञ) के खंड (i) के नीचे की तालिका में दिए गए शीर्षकों के बदले विभिन्न शीर्षकों के बीच अंकों का वितरण इस प्रकार होगा :-

	कारक/शीर्षक	अधिकतम	अर्हक अंक
(i)	व्यावसायिक योग्यता	50	30
(ii)	सेवा का रिकार्ड	30	-
(iii)	अभिक्षमता परीक्षा	20	अअमासं द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक
	कुल	100	60

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का पत्र सं. ई (एन जी) I-2006/पी एम 1/4 दि.22.3.2006).